

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक ५ फरवरी, 2017

क्रमांक एफ 1-11/2017/सत्रह/एक :: राज्य शासन एतद्वारा संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाये के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में चिकित्सा अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर आधारित चयन सूची तैयार करने के लिए दिनांक 07.01.2017 को पात्र उम्मीदवारों के परीक्षण हेतु सम्पादित की गई काउंसिलिन के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 में निहित प्रावधान अनुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिए संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना का स्थान
01	02	03	05	06	07
01	डॉ अशोक चन्द्र वाधवा	स्व. श्री नेवंदराम	वाधवा भवन, गुढियारी, रायपुर छत्तीसगढ़ पिन-492001	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय रायपुर
02	डॉ० युगल कुमार गोयल	श्री राजेश कुमार गोयल	अबेडकर नगर, अंबिकापुर रोड पथलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, पिन-496118	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथलगांव, जिला जशपुर
03	डॉ० मोनिका पांडे,	डॉ० अरविंद पांडे	विवेकानंद नगर, गली-4, डाक बंगला, वार्ड, धमतरी, छत्तीसगढ़, पिन-493773	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय धमतरी
04	डॉ० अभिषेक चंदेल	श्री अरविन्द सिंह चंदेल	उमा निवास आदर्श नगर कॉलोनी, पुराना उच्च न्यायालय रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन-495001	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय बिलासपुर
05	डॉ० कमलेश कुमार ताम्रकार	श्री रामगोपाल ताम्रकार	सरकारी मकान, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर, मेन रोड, बस स्टेण्ड के पास, विश्रामपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़.	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विश्रामपुर, जिला सूरजपुर
06	डॉ० अनिरुद्ध राय	श्री प्रवीर कुमार राय	3/5 डीबी जी.एम. कॉम्प्लेक्स, पो.आ-वेस्ट चिरमिरी, जिला कोरिया छ.ग., पिन-497774	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय कोरिया

U-Tulka

निरंतर.....2

07	डॉ० प्रारब्ध अग्रवाल	डॉ० पी.सी. अग्रवाल	पूनाईटड ब्लड बैंक के पीछे, गुरुद्वारा लेन, नया बस स्टैण्ड के पास, राजातलाब रायपुर, छ.ग. पिन 492001	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय गरियांबद
08	डॉ० प्रियका सिंह क्षत्रिय	श्री रतन सिंह क्षत्रिय	म.न.- 293 के, लिक रोड, पतंजली उपसेवा केन्द्र जांजगीर, छ.ग. पिन-495668	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा, जिला जांजगीर-- चांपा
09	डॉ० नवनीत दुबे	श्री धनश्याम दुबे	ग्राम व पोरट पतरापाली, तह. एवं थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर, छ.ग. पिन-497333	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय सूरजपुर
10	डॉ० आत्मा प्रकाश गौरहा	श्री ओम प्रकाश शर्मा	अनुपम प्लाजा, त्रिमूर्ति टॉकीज के पीछे, चांपा, जिला जांजगीर-चांपा	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर- चांपा
11	डॉ० मिथलेश कुमार	श्री नरेन्द्र कुमार	शिकारी पारा बालोद, जिला बालोद, छ.ग., पिन-491226	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय बालोद
12	डॉ० नरेन्द्र सिंह राजपुत	श्री एच.डी. राजपुत	म.न.-जीबी-1, ईस्ट नेहरूनगर, नगर निगम, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. पिन-4900020	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय दुर्ग
13	डॉ० राकेश पटेल	श्री टेकलाल पटेल	म.न. -- 155, छातामुड़ा, जिला रायगढ़, छ.ग. पिन-496001	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली, जिला कोरबा
14	डॉ. मनीष मिश्रा	श्री ब्रम्हदेव मिश्रा	सी/ओ-डॉ० के.डी. मिश्रा, दत्ता कॉलोनी, सेक्टर-4, विद्या नगर, राजमोहनी देवी भवन के पास अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० पि-497001	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटघोरा, जिला कोरबा
15	डॉ० श्वेता काम्बले	श्री ब्रम्हदास काम्बले	4, विद्या विला, शिवाजी नगर राधिका नगर के पास सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग., पिन-495671	अनारक्षित	जिला अस्पताल धमतरी
16	डॉ० सिम्मी गवेल	श्री शिव कुमार गवेल	शिव बस सर्विस बेरी मंदिर के पास, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा पिन-495689	अ.पि.व.	जिला चिकित्सालय रायपुर

15/1/20

17	डॉ० राहुल गुप्ता	श्री भरत कुमार गुप्ता	ग्राम भवन मार्ग, फुटबाल मैदान के सामने, नागोड, सतना, म.प्र. पिन-485446	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामानुगंज, जिला बलरामपुर
18	डॉ० श्रेया शर्मा	श्री योगेश कुमार शर्मा	एमआईजी 1/149, हुडको कॉलोनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. पिन-491009	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय दुर्ग
19	डॉ० जलज गौतम	श्री आर.एन. एस. गौतम	प्लॉट नं.-6, मार्केट एरिया, मैत्रीकुज, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग. पिन-490006	अनारक्षित	सिविल अस्पताल सुपेला, जिला दुर्ग
20	डॉ० अनुराग अमित रस्तोगी	श्री राजेन्द्र राम	क्यू आर 6 ए.गली-7 सेक्टर 10, भिलाई, जिला दुर्ग, छ.ग., पिन-490006	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोण्डी, जिला बालोद
21	डॉ० नितेश कुमार सिंह	श्री हीरा लाल सिंह	मिश्रा पालीक्लीनिक एवं नर्सिंग होम, रामलीला मैदान के पीछे, बलीयरी रोड वैढम, सिंघरौली, म.प्र. पिन 486886	अनारक्षित	सिविल अस्पताल वाङ्गफनगर, जिला बलरामपुर
22	डॉ० सौरभ गुप्ता	श्री मनमोहन गुप्ता	मनमोहन औषधालय मेन रोड बलोदा (पी) जिला जांजगीर, छ.ग. पिन-495559	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय कोरबा
23	डॉ० नम्रता मेहता	डॉ० नितिन वाले	ब्लाक-1, 6 सी, सिंगापुर सिटी, रायपुर, छ.ग. पिन 492010	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय दुर्ग
24	डॉ० आयुश्री राय	श्री प्रवीर कुमार राय	3/5 डीबी जी.एम कॉम्प्लेक्स, पो.आ. वेस्ट चिरमिरी, जिला कोरिया, छ.ग., पिन-497773	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, जिला कोरिया
25	डॉ० प्रशांत ठाकुर	श्री सुरेश ठाकुर	वार्ड नं. 04, अम्बागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव, छ.ग. पिन-491665	अ.ज.जा.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहला, जिला राजनांदगांव
26	डॉ० अजय पाल चन्द्राकर	श्री यादराम चन्द्राकर	चन्द्राकर क्लीनिक, ब्लाक ऑफिस रोड, गुंडरदेही, जिला बालोद, छ.ग., पिन-491223	अ.पि.व.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुण्डरदेही, जिला बालोद
27	डॉ० श्रेय चन्द्राकर	श्री पी.एल. चन्द्राकर	ई-17 के पास, आदर्श नगर, दुर्ग, छ.ग. पिन-491001	अनारक्षित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतई जिला दुर्ग

U. Jankar

28	डॉ० रवि कुमार जांगड़े	श्री श्रवण कुमार जांगड़े	सी/ओ श्री संजय जांगड़े, ग्राम तेंदवाडीह, पोस्ट किशुनगढ़ तह० पंडरिया जिला कबीरधाम पिन- 491559	अ.जा.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया, जिला कबीरधाम
29	डॉ० अमित कुमार शर्मा	श्री अनिल शर्मा	बार नाका चौक के पास, जिला महासमुंद, छ.ग. पिन-493552	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय रायपुर
30	डॉ० लवलेश कुमार सिरदार	श्री छबिलाल सिरदार	ग्राम व पोस्ट सिंगारपुर तह. केशकाल, जिला कोण्डागांव	अ.ज.जा.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल जिला कोण्डागांव
31	डॉ० कंचनदास जोगी	श्री बुधराम जोगी	गली नं. 14 प्लाट नं. 15 आशीष नगर (पश्चिम) रिशाली भिलाई जिला दुर्ग पिन-490006	अ.जा.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैनपुर जिला गरियाबंद

## 2/ संविदा नियुक्ति की शर्तें :-

- चिकित्सा अधिकारी (एम०बी०बी०एस० योग्यता धारी) संविदा नियुक्ति पर एकमुश्त देय राशि :- सामान्य क्षेत्र अंतर्गत 35000/- अनुसूचित क्षेत्र की संस्थाओं में 40000+ उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित-कठिन क्षेत्र के लिए रूपये 20000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रूपये 25000/- तथा पहुँच विहिन संस्थाओ मे कार्य करने पर रूपये 30000/- मासिक राशि एकमुस्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
- पोस्टग्रेजुवेट पी.जी. डिग्री डिप्लोमा धारी अभ्यार्थी को संविदा नियुक्ति पर एकमुश्त देय राशि :- सामान्य क्षेत्र अंतर्गत 35280/- अनुसूचित क्षेत्र की संस्थाओं में 40000+ उसके अतिरिक्त सी.आर.एम.सी. के तहत कमशः चिन्हित-कठिन क्षेत्र के लिए रूपये 25000/- कठिनतम क्षेत्र के लिए रूपये 35000/- तथा पहुँच विहिन संस्थाओ मे कार्य करने पर रूपये 30000/- मासिक राशि एकमुश्त संविदा राशि के अतिरिक्त देय होगी।
- इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत नियंत्रित व शासित होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।

UTJrika

06. उक्त संविदा नियुक्त चिकित्सक को संविदा नियुक्ति नियम अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।
07. इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई भी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। उन्हें कोई अन्य नॉन प्रैक्टिस भत्ता (एन.पी.ए) देय नहीं होगा।
08. उपरोक्त चिकित्सक को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा एवं इसकी लिखित सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में देना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच की जावेगी एवं तदनुसार आवश्यकता अनुरूप संचालनालय को एकजाई उपस्थिति प्रतिवेदन तैयार कर संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को तथा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
09. उपस्थिति के एक माह के अंदर जिले के मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. उपस्थिति उपरांत निवास थाना से चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन में दोषी पाए जाने पर संविदा नियुक्त चिकित्सक की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
11. संविदा नियुक्त चिकित्सक को निर्धारित उत्तरदायित्व का पालन करना अनिवार्य होगा तथा स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सकीय सेवायें देना, मेडिकल लीगल प्रकरणों की जांच कर प्रतिवेदन देना, पोस्ट मार्टम करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विशेष ध्यान देना इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो समय-समय पर जिला नियंत्रण अधिकारियों एवं राज्य शासन के अधिकारियों अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे जाए उन्हें संपादित करना होगा।

3/ सरल क्रमांक 02 पर अंकित डॉ० युगल कुमार गोयल, क्रमांक 07 पर डॉ० प्रारब्ध अग्रवाल तथा क्रमांक 08 पर डॉ० प्रियंका सिंह क्षत्रिय का छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं है अथवा पंजीयन की तिथि समाप्ति पर है, ऐसी स्थिति में इनकी संविदा नियुक्ति के उपरांत एक माह के अन्दर अपना पंजीयन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, पंजीयन नहीं होने की स्थिति में इन्हें नियुक्ति के लिए अपात्र मानते हुए इनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(*U. J. Jha*)  
(एम.एल.ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 1-11/2017/सत्रह/एक  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर दिनांक 9 फरवरी, 2017

01. विशेष सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़।
02. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
03. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़)।
04. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर/जशपुर/धमतरी/बिलासपुर/सूरजपुर/कोरिया/गरियाबंद/जांजगीर-चांपा/बालोद/दुर्ग/कोरबा/बलरामपुर/राजनांदगांव/कबीरधाम/कोण्डगांव, छत्तीसगढ़।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर/जशपुर/धमतरी/बिलासपुर/सूरजपुर/कोरिया/गरियाबंद/जांजगीर-चांपा/बालोद/दुर्ग/कोरबा/बलरामपुर/राजनांदगांव/कबीरधाम/कोण्डगांव, छत्तीसगढ़। की ओर भेजकर लेख है कि आप संबंधित चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में "अनुप्रमाणन पत्र" 3 प्रतियों में तैयार कराते हुए एक प्रति छत्तीसगढ़ पुलिस महानिरीक्षक एवं एक प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजकर नियुक्त चिकित्सकों का पुलिस सत्यापन हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
07. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
08. कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर/जशपुर/धमतरी/बिलासपुर/सूरजपुर/कोरिया/गरियाबंद/जांजगीर-चांपा/बालोद/दुर्ग/कोरबा/बलरामपुर/राजनांदगांव/कबीरधाम/कोण्डगांव, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. संबंधित चिकित्सा अधिकारी.....

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

10. आदेश नस्ती।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग